

ऑनलाइन अपील पत्र दिनांक:08.05.2024**संदर्भ सं०:** ई.डी./सचिवालय/आर. टी. आई./ उ. क्षे.1/2317/25**दिनांक:** 20.05.2024**लोक प्राधिकारी का नाम****: पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड,
मकान न.59, लवकुश नगर, हाथीकुण्ड के पास
मधुवन, तहसील चित्तौड़गढ़ (राज.) 312001****आदेश**

ऑनलाइन आर. टी. आई प्रार्थना पत्र पंजीकरण संख्या PGCIL/R/E/24/00215 दिनांक 17.04.2024 जो कि श्री जय व्यास, निवासी गांव नारायणपुरा, तहसील भिंडर, पोस्ट- बडगांव, जिला उदयपुर, राजस्थान - 313603 (मो. न.8000536086) के द्वारा प्राप्त हुआ। इस आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र के माध्यम से गांव नारायणपुरा, तहसील भिंडर, जिला उदयपुर, राजस्थान भू-राजस्व क्षेत्र खसरा संख्या 2543/ 2544 में टावर संख्या PNTSL NMC-CHR 0292/CKT II स्थापित किया गया के संदर्भ में जानकारी चाही थी। इस अनुसार सी.पी.आई.ओ., पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र संदर्भ संख्या: पी.एन.टी.एस.एन.एल/उ.क्षे.-1/आर.टी.आई./2317/405 दिनांक 06.05.2024 के माध्यम से बिंदु न.1 से 8 तक की जानकारी आर. टी. आई. अधिनियमानुसार प्रदान की है।

अब, श्री जय व्यास, अपीलकर्ता, ने आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 19(1) के अनुसार सी.पी.आई.ओ., पी.एन.टी.एस.एन.एल, चित्तौड़गढ़ द्वारा बिंदु न. 3, 5 एवं 7 के अनुसार प्रदान की गयी जानकारी से असंतुष्ट होने पर ऑनलाइन अपील पत्र दिनांक 08.05.2024 दर्ज किया है। यह अपील पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आर.टी.आई. एम.आई.एस. पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अपील पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता ने बताया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.05.2024 के माध्यम से उपरोक्त बिंदुओ पर जो जानकारी दी है वह अधूरी/भ्रामक एवं असन्तोषजनक है।

अब, अपीलकर्ता से प्राप्त ऑनलाइन अपील पत्र एवं सलग्र दस्तावेजो का अध्ययन के पश्चात, अपील पत्र को पुनः सी. पी. आई. ओ., पी.एन.टी.एस.एन.एल, चित्तौड़गढ़ को विचार करने को आदेशित किया। इस अनुसार सी. पी. आई. ओ., पी.एन.टी.एस.एन.एल, चित्तौड़गढ़ के द्वारा आपना पक्ष रखा गया एवं प्रस्तुत बिंदुओ एवं दस्तावेजो का अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि सी. पी. आई.ओ., पी.एन.टी.एस.एन.एल, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्र संदर्भ संख्या: पी.एन.टी.एस.एन.एल/उ.क्षे.-1/आर.टी.आई./2317/405 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा बिंदु न. 3, 5 एवं 7 के अनुसार जो जानकारी दी है वह आर. टी. आई. अधिनियमानुसार है। अतः अपील पत्र दिनांक 08.05.2024 को बंद (Disposed) किया जाता है।

[ए. के. मिश्रा]**कार्यपालक निदेशक, उ.क्षे. I एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी**
ई-मेल:akmishra2@powergrid.in, फोन न. 0129-2666301**प्रतिलिपि :**

1. **श्री जय व्यास**, निवासी गांव नारायणपुरा, तहसील भिंडर, पोस्ट- बडगांव, जिला उदयपुर राजस्थान - 313603. मो. न.8000536086: ऑनलाइन अपील पत्र दिनांक 08.05.2024 के संदर्भ में।
2. **श्री सुकुमार मिश्रा**, वरिष्ठ महाप्रबंधक (पी. एन. टी. एस. एल) चित्तौड़गढ़ एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ.: सूचना एवं रिकार्ड हेतु।

CIN No. L40101DL1989GOI038121

उत्तरी क्षेत्र-1 मुख्यालय, एस.सी.ओ.-बे संख्या 5 से 10, सेक्टर-16ए, फरीदाबाद, हरियाणा-121002
Northern Region-1 Headquarters, SCO - Bay No.5 to 10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002